व्हर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य

2 नवम्बर 2007

(अशोक भान, एच.एस.बेदी और वी.एस.सिरपुरकार, जेजे.)

केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 - धारा 4ए(1) व (2) - अधिसूचना के तहत- अधिसूचना में माल को शामिल करने की शर्तों में से एक यह है कि यह पैकेज्ड सामान होना चाहिए - अधिसूचना में रेफ्रिजरेटर का समावेश- इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह पैकेज्ड सामान नहीं है- अभिनिर्धारित किया- बाट और माप मानक अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत रेफ्रिजरेटर एक पैकेज्ड वस्तु है- इस आधार पर अधिसूचना में इसका समावेश गलत नहीं है जब तक कि अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी जाती। बाट और माप मानक अधिनियम, 1976- धारा 2 (ब)- बाट और माप मानक अधिनियम (पैकेज्ड वस्तु), नियम 1977- नियम 2 (1), 3 व 6।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4ए (1) और (2) के तहत सन् 2000 की अधिसूचना सं. 9 दिनांक 01.03.2000 के द्वारा अधिसूचना के का ॅलम नंबर 5 में दर्शित सामानों का मूल्यांकन अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाना था जिसे उन सामानों के पैकेज पर मुद्रित किया जाना आवश्यक था। वस्तुओं को अधिसूचना में समावेशित करने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक थी जिनमें यह था कि माल वैसा होना चाहिए जैसा वो पैकेज में बेचा गया था और बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या इसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून की

आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसे सामानों की कीमत पैकेज पर उनके खुदरा मूल्य से संबंधित घोषित करें। (रेफ्रिजरेटर का निर्माता) अपीलार्थी रेफ्रिजरेटर को अधिसूचना में सम्मिलित करने के कारण इस बात से व्यथित था कि रेफ्रिजरेटर पर अधिकतम खुदरा मूल्य करने की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह ''पैकेज्ड वस्तु की परिधि में नहीं आता है एवं बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 या उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते थे। अपीलार्थी ने अधिसूचना को इस सीमित सीमा तक चुनौती देते हुए रिट याचिका दाखिल की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज किया, इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. यह विवादित नहीं था कि अपीलार्थी-निर्माता को, रेफ्रिजरेटर जो कि पॉलिथिन आवरण, थर्मोकोल इत्यादि में बंद करके मोटे गत्ते के डिब्बों में रखा जाता है, बेचना होता है। एक बार जब यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तो रेफ्रिजरेटर स्पष्ट रूप से डिब्बाबंद वस्तु बन जाता है। (पैरा 4)(873-डी, ई)

2. बाट और माप मानक अधिनियम की धारा 2(बी) में परिभाषित वस्तु इन पैकेज्ड स्थिति में इस्तेमाल किए गए शब्द ''या अन्यथा यह सुझाव देते है कि कोई भी वस्तु यदि थोक या खुदरा विक्रय के लिए उपयुक्त इकाइयों में किसी भी प्रकार से डिब्बाबंद की जाती है तो वह डिब्बा बंद वस्तु बन जाती है। यदि जांच के लिए रेफ्रिजरेटर के पैकेज को खोलने की आवश्यकता होती है तब भी रेफ्रिजरेटर एक ''पहले से ही डिब्बे में बंद वस्तु ही रहेगा। विभिन्न प्रकार के डिब्बे जो नियमों के तहत परिभाषित है और अंततः वजन और माप के मानक (पैकेटबंद वस्तुंए) अधिनियम, 1977 का नियम 3 विशेष रूप से सुझाव देता है कि अध्याय-2 के प्रावधान ''खुदरा बिक्री के प्रयोजन के पैंकेजों पर लागू होंगे और वर्णित ''पैकेज'' को उसी प्रकार से

समझा जायेगा। एक बार यह स्थिति स्पष्ट हो जाने पर कि रेफ्रिजरेटर ''खुदरा बिक्री के अंतर्गत शामिल नहीं है, नियम 6 में रेफ्रिजरेटर विशेष रूप से शामिल होगा और पैकेज पर बिक्री मूल्य सहित कुछ जानकारी मुद्रित करने के उस नियम के अनुसार आवश्यकताएं शामिल होगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्माता द्वारा डिब्बाबंद रूप में बेचे जाने से, रेफ्रिजरेटर अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत आएगा और यह अनिवार्य होगा कि एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) को नियम 6 के अनुसार मुद्रित किया जाना चाहिए। (पैरा 4)(873-ई, एफ, 874-सी, डी, ई, एफ)

3. यद्यपि एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) उस क्षेत्र पर निर्भर करती है जिसमें इसे बेचा जा रहा है, अर्थात् उस पैकेज पर एमआरपी जिसमें रेफ्रिजरेटर पैक किया गया है। रेफ्रिजरेटर एक ''डिब्बा बंद वस्तु है और यह अधिनियम और नियमों के अंतर्गत आता है और इस प्रकार दिनांक 1.3.2000 की अधिसूचना को इस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलकर्ता ने अन्यथा किसी अन्य आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी है। एक बार अधिसूचना में रेफ्रिजरेटर शामिल हो जाने पर, जब तक अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी जाती, अपीलकर्ता अधिसूचना के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। क्यांेकि अपीलार्थी को लगता है कि रेफ्रिजरेटर एक डिब्बाबंद वस्तु नहीं है और केवल इस पर अधिसूचना को गलत नहीं ठहराया जा सकता। (पेरा नं. 5 व 6)(875-ए,बी,सी)

जयन्ती फूड प्रोसेसिंग (पी) लिमिटेड बनाम केन्द्रीय आयुक्त उत्पाद शुल्क, राजस्थान, (2007)10 स्केल 223 का सहारा लिया गया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 7417/2001

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के सिविल रिट याचिका सं.

13697/2000 में अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.08.2001 से व्युत्पन्न।

संजीव नरूला और जय किशोर सिंह (सुब्रमण्यम प्रसाद के लिए) अपीलार्थी की ओर से।

के.राधाकृष्णन, बी.सुनीता राव, पी.एस.नरसिम्हा और अजय शर्मा (बी.कृष्ण प्रसाद और बी.वी.बलराम दास) प्रतिवादीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय वी.एस.सिरपुरकर, जेजे. द्वारा सुनाया गया:

1. यह संक्षिप्त किन्तु दिलचस्प सवाल है कि क्या रेफ्रिजरेटर एक ''डिब्बा बंद वस्तु'' है जो इस अपील में विचारणीय है। अपीलार्थी रेफ्रिजरेटर्स का निर्माता है। केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (संक्षेप में ''अधिनियम'') की धारा 4ए(1) व (2) के तहत अधिसूचना सं. 9/2000 दिनांकित 1.3.2000 जारी की और माल को निर्दिष्ट किया जो उक्त अधिसूचना के कॉलम 3 में वर्णित है। प्रविष्टि सं. 48 रेफ्रिजरेटर्स से संबंधित है जिसके द्वारा रेफ्रिजरेटर्स का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधियिनम की धारा 4ए के तहत 40 प्रतिशत की छूट के साथ मूल्यांकन किया गया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 4ए(1) व (2) में यह आवश्यकता है कि अधिसूचना में शामिल किसी भी वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य (संक्षेप में ''एमआरपी'') जिसे ऐसे वस्तओ के डिब्बों पर मुद्रित किया जाना आवश्यक है। वस्तुओं को शामिल करने की पांच शर्ते हैं -

''(i) माल उत्पाद शुल्क योग्य माल होना चाहिए,

(ii) वे ऐसे होने चाहिए जैसे पैकेज में बेचे गए हों,

(iii) एसडब्ल्यूएम अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में इसकी आवश्यकता होनी चाहिए या ऐसे माल की कीमत घोषित करने के लिए कोई अन्य

कानून जो कि पैकेज पर उनके खुदरा मूल्य से संबंधित हो,

(iv) केन्द्र सरकार ने अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे माल को निर्दिष्ट किया होगा,

(v) ऐसे माल का मूल्यांकन पैकेजों पर घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के अनुसार छूट की राशि घटाकर किया जायेगा।''

2. अपीलार्थी इस तथ्य से व्यथित था कि रेफ्रिजरेटर को दिनांक 1.3.2000 की उपरोक्त अधिसूचना में शामिल किया गया था, क्योंकि अपीलार्थी के अनुसार रेफ्रिजरेटर ऐसी वस्तु नहीं है जिसे डिब्बे में बेचा जाता है। गौरतलब है कि अपीलार्थी अधियिनम की धारा 4ए(1) व (2) के अंतर्गत होने वाले इसके मूल्यांकन से व्यथित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा की गई एकमात्र शिकायत यह है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा निर्मित रेफ्रिजरेटर के पैकेज पर एमआरपी मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी ने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा अपने कारखाने से निर्मित और निकाले गये रेफ्रिजरेटर पर अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित नहीं करने के लिए अपीलकर्ता या उसके निदेशकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण व प्रतिनिधिगण के विरूद्ध कोई भी कठोर कदम उठाने से प्राधिकरण को रोकने के लिए प्रमाणित परमादेश की रिट के लिये अनुरोध किया। अधिसूचना दिनांक 1.3.2000 को केवल इसी सीमित सीमा तक चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि रेफ्रिजरेटर ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ''डिब्बाबंद वस्तु कहा जा सके और इसके अलावा भार और माप मानक अधिनियम, 1976 (संक्षेप में ''एसडब्ल्यूएम अधिनियम) के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम रेफ्रिजरेटर पर बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। इसलिए यह प्रार्थना की गई थी कि अधिसूचना केवल उस सीमा तक रद्द करने योग्य थी,

जिसमें रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर पर अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित करने की आवश्यकता सम्मिलित थी।

3. यद्यपि प्रतिवादी प्राधिकरण ने कहा कि रेफ्रिजरेटर वास्तव में पाॅलिथीन आवरण, थर्मोकोल, मोटे गत्ते के डिब्बों इत्यादि के पैकेट में बेचा गया था और इस प्रकार यह ''पूर्व-पैकेट वस्तु'' की श्रेणी में आता है। उस आधार पर यह तर्क दिया गया कि चूंकि प्रत्येक पैकेट वस्तु को एसडब्ल्यूएम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में शामिल किया गया था इसलिए पैकेज पर अधिकतम खुदरा मूल्य प्रिंट करने से कोई बच नहीं सकता है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया और अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। इसलिये यह अपील हमारे समक्ष है।

4. विद्वान अधिवक्ता की ओर से पुरजोर यह दलील रही है कि वास्तव में रेफ्रिजरेटर को डिब्बाबंद रूप में नहीं बेचा जाता है। तर्क में यह भी जोर दिया गया कि यद्यपि इसे डिब्बाबंद रूप में बेचा जाता है परन्तु जब डीलर इसे प्रदर्शित करते हैं तो यह डिब्बाबंद रूप में नहीं होता है और ग्राहक रेफ्रिजरेटर का निरीक्षण कर सकते हैं और कम से कम उस उद्देश्य के लिए पैकेट को खोलना होगा और इसलिए रेफ्रिजरेटर को एसडब्ल्यूएम अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों में शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। अतः यह बिल्कुल ही गलत है। जब हम एसडब्ल्यूएम अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि धारा 2(बी) ''डिब्बाबंद रूप में वस्तु'' को परिभाषित करती है। परिभाषा कहती है कि:-

> ''डिब्बाबंद रूप में वस्तु'' का अर्थ है पैक की गई वस्तु चाहे वह किसी बोतल, टिन, रैपर या अन्यथा बिक्री के लिये उपयुक्त इकाईयों में हो, चाहे थोक हो या खुदरा।''

उच्च न्यायालय में भी इस पर कोई विवाद नहीं था और न ही हमारे समक्ष है कि अपीलार्थी/निर्माता को उन रेफ्रिजरेटर को बेचना होगा जो पाॅलिथीन आवरण्, थर्माकोल आदि में पैक किए गए हैं और मोटे गत्ते के डिब्बों में रखे गए हैं। वास्तव में अपीलार्थी ने पेरा नं. 3 में उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी दलील दी थी जिसका उल्लेख उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। एक बार जब यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर स्पष्ट रूप से डिब्बा बंद रूप में एक वस्तु बन जाता है। वर्ष 1977 में भार और माप मानक अधिनियम (डिब्बाबंद वस्तु) अधिनियम,1977 (संक्षेप में ''एसडब्ल्यूएम (पीसी) नियमों'), नियम **2(1)** ''पहले से ही पैक की गई वस्तु' को परिभाषित करता है जो इस प्रकार है -

> "अपनी व्याकरणीय विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ ''पूर्व पैकेट वस्तु' का अर्थ है एक वस्तु या इकाई या इकाईयां जो खरीददार की उपस्थिति के बिना एक पैकेट या किसी भी प्रकृति में रखा जाता है जिससे उसमें मौजूद उत्पाद की मात्रा का पूर्व निर्धारित मूल्य हो और इस तरह के मूल्य को पैकेट के बिना या इसके ढक्कन या आवरण, जैसा भी मामला हो, खोले जाने या प्रत्यक्ष संशोधन से गुजरने के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकता है और अभिव्यक्ति ''पैकेट'' जहां भी आता है, पहले से पैक की गई वस्तु वाले पैकेट के रूप में समझा जाएगा।''
>
> स्पष्टीकरण 1 - जहां किसी पैकेट के खुलने मात्र से उसमें रखी हुई वस्तु के मूल्य, मात्रा, प्रकृति या विशेषता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी वस्तु को इन नियमों के प्रयोजनों के लिए पहले से पैक की गई वस्तु माना जाएगा, उदाहरण के लिए एक बिजली का बल्ब या

टयूबलैंप एक पहले से ही पैक की गई वस्तु है, चाहे उस वस्तु के परीक्षण के लिए उसके पैकेट को खोलना आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण 2 प्रासंगिक नहीं है''

एक नजर में और विशेष रूप से इस प्रावधान के स्पष्टीकरण 1 यह सुझाव देता है कि रेफ्रिजरेटर ''पहले से ही पैक वस्तु' रूप के अन्तर्गत आता है। यदि परीक्षण के लिए रेफ्रिजरेटर के पैकेट को खोलने की आवश्यकता होती है, तब भी रेफ्रिजरेटर एक ''पहले से ही पैक वस्तु' बना रहेगा। विभिन्न प्रकार के पैकेट नियम के तहत परिभाषित है और अंततः नियम 3 विशेष रूप से सुझाव देता है कि अध्याय-II के प्रावधान ''खुदरा बिक्री' के प्रयोजन रखने वाले पैकेटों पर लागू होंगे और अभिव्यक्ति ''पैकेट'' को उसी अनुसार समझा जाएगा। हमारे समक्ष यह भी विवादित नहीं है कि रेफ्रिजरेटर की बिक्री ''खुदरा विक्रय'' के अंतर्गत आती है। एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाने पर नियम 6 में रेफ्रिजरेटर विशेष रूप से शामिल होगा और उस नियम के अनुसार पैकेट पर विक्रय मूल्य सहित निश्चित जानकारी मुद्रित करने की आवश्यकताएं भी शामिल होंगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्माता द्वारा डिब्बाबंद रूप में बेचे जाने पर, रेफ्रिजरेटर एस.डब्ल्यू.एम अधिनियम और एस.डब्ल्यू.एम. (पीसी) नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आएगा। नियम 6 के अनुसार यह अनिवार्य होगा कि अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को मुद्रित किया जाना चाहिए जैसा की ऊपर उल्लेखित किया गया है। उच्च न्यायालय ने नियम 2(1) और विशेष रूप से उस स्पष्टीकरण का भी संदर्भ दिया है जिसका हमने पहले उल्लेख किया है। हमारे दृष्टिकोण में नियम 2(1) पर उच्च न्यायालय का भरोसा सही है। विद्वान अधिवक्ता ने यह आग्रह करने का प्रयास किया कि प्रत्येक ग्राहक रेफ्रिजरेटर खरीदने का निर्णय लेने से पहले पैकेट खोलना चाहेगा। वह कम से कम इसका परीक्षण कराएंगे और इस उद्देश्य के लिये पैकेट नष्ट कर दिया

जायेगा। ऐसा हो सकता है किन्तु इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही प्रकार से अवलोकन किया गया।

5. यह सुझाव देने की कोशिश की गई है कि जिस क्षेत्र में इसे बेचा जा रहा है, उसके आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) अलग-अलग होगी। हालांकि, ऐसा हो सकता है, जो निर्माता को रेफ्रिजरेटर पैक किए गए पैकेट पर कीमत, यानि अधिकतम खुदरा मूल्य प्रदर्शित करने से मुक्त नहीं कर सकता है। स्थिति जो भी हो, यह स्पष्ट है कि रेफ्रिजरेटर एक ''पैकेज्ड वस्तु है और इस प्रकार एसडब्ल्यूएम अधिनियम और एसडब्ल्यूएम (पीसी) नियमों के तहत कवर किया गया है और इसलिए दिनांक 1.3.2000 की अधिसूचना को उस आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ता ने किसी अन्य आधार पर दिनांक 1.3.2000 की अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी है। जिस चीज को चुनौती दी गई है वह रेफ्रिजरेटर जैसी वस्तु के लिए उपयुक्त है।

6. एक बार जब अधिसूचना में रेफ्रिजरेटर शामिल हो गया, तब तक जब तक अधिसूचना की वैधता को चुनौती नहीं दी जाती, अपीलार्थी अधिसूचना के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। अधिसूचना को केवल इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि अपीलार्थी को लगता है कि रेफ्रिजरेटर एक पैकेज्ड वस्तु नहीं है। हम पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि रेफ्रिजरेटर एक ''पैकेज्ड वस्तु है और एक बार इसे अधिसूचना में शामिल करने के बाद, जब तक कि अधिसूचना किसी अन्य आधार पर गलत न हो, जहां तक रेफ्रिजरेटर का संबंध है, अधिसूचना का प्रभाव बरकरार रहेगा। इस आधार पर भी अपील खारिज की जानी चाहिए।

7. वास्तव में रेफ्रिजरेटर के मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा जयंती फूड प्रोसेसिंग(पी) लिमिटेड बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, राजस्थान,

(2007) 10 स्केल 223 मामले में विचार किया गया था जिसमें यह माना गया था कि रेफ्रिजरेटर अधिनियम की धारा 4ए के तहत मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि अधिनियम की धारा 4 के तहत। हालांकि, वर्तमान विवाद उस मामले में नहीं उठाया गया था।

8. परिणामतः उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाकर अपील सव्यय अस्वीकार की जाती है।

अपील अस्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजय शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।